न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2005 G.C.M.S. No. 2005/00001 दर्ज दिनांक : 01.10.2005

अपीलार्थिगण:

1. किशनसिंह पुत्र रावतसिंह
2. जेठूसिंह पुत्र रावतसिंह, जातिगण रजपूत, साकिनान (जूनी एंदला), तहसील पाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कंकु पुत्री मगाजी, जाति कलाल, साकिन एंदला, हाल निवासी स्टेट बैंक की गली में भटवाडा, पाली जिला पाली।
2. मृतक कन्या पुत्री मगाजी पत्नि मांगीलाल के कायम मुकामः–
   2/1 मांगीलाल पुत्र भबुता
   2/2 केशाराम पुत्र मांगीलाल
   2/3 प्रकाश पुत्र मांगीलाल
   2/4 दिलीप पुत्र मांगीलाल
   2/5 जगदीश उर्फ जगु पुत्र मांगीलाल, तमाम जातिगण कलाल, साकिनान सुथारों का बास, साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
3. सोहनलाल पुत्र हेमा, जाति कलाल, साकिन एंदलावास, हाल नदी के पुल के पास, बाहर की सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
4. नेमीचंद पुत्र हेमा, जाति कलाल, साकिन एंदलावास, हाल अस्पताल रोड़, साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
5. भेरूलाल पुत्र हेमा
6. तीजो बेवा हेमा अकवाम कलाल साकिनान एंदलावास हाल आशापुरा मंदिर के पास, पुलिस लाईन के पीछे, राईकों की ढ़ाणी, तहसील पाली व जिला पाली।
7. अशोक पुत्र लच्छा, जाति कलाल, साकिन आईदानपुरा मैन रोड़ मुण्डारा, तहसील बाली व जिला पाली।
8. देवा पुत्र वरदा, जाति कलाल, हाल निवासी स्टेट बैंक की गली में भटवाडा, पाली जिला पाली।
9. मृतक हिम्मता पुत्र देवा कौम राजपूत साकिन एंदला के कायम मुकामः–
   9/1 मोहनी बेवा हिम्मता
   9/2 विकी पुत्री हिम्मता
   9/3 मांगीलाल पुत्र हिम्मता
   9/4 मंजू पूत्री हिम्मता, अकवाम कलाल, साकिनान एंदला, तहसील पाली, जिला पाली रेस्पोंडेंट संख्या 9/3 व 9/4 मांगीलाल व मंजू नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता रेस्पोंडेंट संख्या 9/1 मोहनी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2005 (पुराना वाद संख्या 106/2005 एवं मूल वाद संख्या 18/1996) बअनवान मृतक कन्या के का.मु. मांगीलाल वगैरह बनाम सोहनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2005 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नवरतन अग्रवाल, श्री राजेन्द्र मेवाड़ा, श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2005 (पुराना वाद संख्या 106/2005 एवं मूल वाद संख्या 18/1996) बअनवान मृतक कन्या के का.मु. मांगीलाल वगैरह बनाम सोहनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2005 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट कन्या व कंकू ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम गुडा एंदला हाल मौजा एन्दलावास पटवार क्षेत्र गुडा एन्दला चक दो तहसील पाली की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 879 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नंबर 882 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा, खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री जारी की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री पारित करने के पूर्व न तो अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाया एवं न ही अपीलान्ट्स को कोई नोटिस ही जवाब शहादत सुनवाई हेतु दिया। जबकि अपीलान्टस उक्त आराजी के सहखातेदार रेकर्डेड/जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज के थें, जबकि यह सच्चाई वाद प्रस्तुति के दौरान भी ध्यान एवं ज्ञान में थीं। जिसके बावजूद भी अपीलान्टस को जानबूझकर पक्षकार उक्त वाद में वादीगण कंकु एवं कन्या ने नहीं बनाया था। वादीगण कंकु एवं कन्या का वाद अस्पष्ट उक्त आराजी एवं उक्त आराजी के हिस्सा बाबत वादपत्र में हैं। जिसे अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त आर.ए.ए. पाली ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2001 में रेस्पोंडेन्ट वादीगण कन्या एवं कंकु के अन्य गवाहान की शहादत लेने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया था, जिसे अदालत मातहत ने आर्डरशीट दिनांक 11.04.2005 के जरिये स्पष्ट किया, लेकिन इसके बावजूद ऑर्डरशीट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 10.05.2005 के जरिये पत्रावली पुनः शहादत वादी हेतु खिलाफ कानून मुकर्रर की तथा दिनांक 16.05.2005 को वादीगण की दीगर गवाहान के बयानात खिलाफ कानून अदालत मातहत ने ले लिये, जबकि इस कदर ऐसी पुनः शहादत लेने हेतु अदालत मातहत कानूनन सक्षम नहीं था। क्योंकि आर.ए.ए. ने पुनः शहादत लेने का कोई निर्देश अदालत मातहत को नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट्स वादीगण कंकु एवं कन्या के वाद का मूलभूत आधार था कि यह दोनों वादीगण रेस्पोंडेन्ट्स मृतक मगा पुत्र हीराजी जाति कलाल साकिन गुडा एन्दला की जायन्दा पुत्रियां होने से उक्त मगा मृतक की भूमि में 1/2 हिस्से की हकदार है। उक्त वादीगण का यह आधार अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत गवाहान मय वादीगण के बयानात से साबित न था एवं न है। क्योंकि उक्त मगा करीब 50 वर्ष पहले दिनांक 17.06.1956 के पूर्व मरा था तथा उक्त वादीगण मय उसकी गवाहान के बयानात में कहीं भी यह कतई अंकित नहीं हैं कि उक्त मगा पुत्र हीराजी दिनांक 17.06.1956 के बाद मरा हों। ऐसी स्थिति में वादीगण का उक्त कन्या व कंकु का उक्त मगा मृतक की भूमि में कोई हक हिस्सा या 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की न तो कानूनन अधिकारी थी एवं न ही हैं। कानून की उक्त अहम स्थिति को अदालत मातहत द्वारा दरकिनार करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार एक्ट 1956 के तहत वादीगण आर कंकु एवं कन्या मय इनके कायम मुकाम रेस्पोंडेन्ट्स के हक में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं, जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि वादपत्र साबित करना रेस्पोंडेन्ट्स कंकु एवं कन्या के जिम्मे था, जो नहीं किया। इसके साथ ही रेस्पोंडेन्ट्स वादीगण के वाद पत्र में वादकरण एवं दादरसी अस्पष्ट एवं कानून सम्मत अंकित नहीं हैं, जिसे अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। इसके साथ ही अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादीगण के सम्मन कानून की मंशानुसार तामील नहीं हुये थें। जिसके बावजूद एकतरफा आदेश प्रदान कर पत्रावली वास्ते शहादत वादीगण के बार–बार खिलाफ कानून रखी गयी, जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। यहां तक कि अदालत मातहत ने मुकदमा ट्रांस्फर होने के बाद भी सभी पक्षकारान प्रतिवादीगण को सम्मन नियमानुसार तामिल नहीं कराये तथा एकतरफा शहादत वादीगण के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दीगर रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2005 द्वारा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर व म्याद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अंकित खसरा संख्या 879 व 882 में 3/5 हिस्से पर बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 8 काबिज थें व है। अदालत मातहत ने उक्त वाद संख्या 51/2005 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स के खिलाफ है। जिससे अपीलांट व्यथित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।
3. पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का नाम जमाबंदी संवत 2060–63 में बतौर सहखातेदार दर्ज है। लिहाजा, अपीलांट्स को सुना जाना आवश्यक है तथा अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।
4. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं थें। ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं रही, जो जानकारी दिनांक 25.07.2005 को रेस्पोंडेंट कंकू द्वारा अपीलांट्स को कहने पर हुई। तत्पश्चात नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
5. यह निर्विवाद है कि अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं थें। ऐसी स्थिति में निर्णय की दिनांक से निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंबकाल अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता से घटित होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं के मगाजी पुत्र हीराजी की जायंदा पुत्रियां होने तथा ग्राम गुडा एंदला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नक 2 में स्थित आराजी खसरा संख्या 879 व 882 वादीगण के पिता की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण के पिता के देहांत होने पर मृतक मगा पुत्र हीरा के जायंदा पुत्र मृतक हेमा व मृतक लसा पिसरान मगा के नाम का नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि उत्तराधिकार के आधार पर वादीगण पुत्रियों का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था, के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र दिनांक 02.04.1996 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो पूर्व में दिनांक 30.07.1998 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील की गई। जो निर्णय दिनांक 22.01.2001 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। मृतक मगा व लसा द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 को 2/5 हिस्सा बेचान किया गया।

7. अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार बनाए बिना तथा प्रकरण में समुचित तामील हुए बिना तथा साक्ष्य का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। वादीगण द्वारा मगा की जायंदा पुत्रियां होने के आधार पर मगा की भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की मांग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आधार पर विरासतन की हैं। जबकि मगा की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व दिनांक 17.06.1956 से पूर्व हो गई थीं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक, हिस्सा निहित नहीं था। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स का 3/10 हिस्सा सम्मिलित था। जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से कम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हों कि मगा की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार 1956 लागू होने से पूर्व हो गई थीं। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरण पंजिका की प्रति प्रदर्श 2 के अनुसार मगा व वरदा के फौत होने से उसके जायंदा पुत्रों के नाम विरासत से नामांतरण दिनांक 20.06.1982 को स्वीकृत किया जाना अंकित है। अर्थात विरासत का नामांतरण केवल जायंदा पुत्रों के नाम स्वीकृत किया जाना स्वीकृत तथ्य है। अतः इस संबंध में अपीलांट के उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

9. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट्स को वाद/अपील विचारण के दौरान प्रतिवादीगण से आराजीयात अंतरित हुई हैं। जिनके विरूद्ध वाद विचारण था। ऐसे प्रकरण में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 से प्रकरण आवृत होता है तथा अपीलांट्स इससे आबद्ध है। धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है–

"During the pendency in any Court having authority within the limits of India excluding the State of Jammu and Kashmir or established

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

beyond such limits by the Central Government of any suit or proceedings which is not collusive and in which any right to immoveable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the Court and on such terms as it may impose.Explanation.—For the purposes of this section, the pendency of a suit or proceeding shall be deemed to commence from the date of the presentation of the plaint or the institution of the proceeding in a Court of competent jurisdiction, and to continue until the suit or proceeding has been disposed of by a final decree or order and complete satisfaction or discharge of such decree or order has been obtained, or has become unobtainable by reason of the expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force."

अतः इस संबंध में अपीलांट्स को उज्र उठाने का कोई अधिकार नहीं हैं। लिहाजा, अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

10. अपीलांट्स द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील करवाए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, के संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम तो अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र से अनुमति के साथ प्रस्तुत की हैं। लिहाजा, अपीलांट्स को दीगर पक्षकारान की तामीली की वैधता या अवैधता के संबंध में कोई उज्र लेने का अधिकार नहीं हैं। साथ ही अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस पक्षकार की समुचित तामील करवाए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

11. अपीलांट्स द्वारा यह भी उज्र लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से हमारा विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र वर्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया। जिसे 1998 में सर्वप्रथम निर्णित व डिक्री कर खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई। जो निर्णय दिनांक 22.01.2001 द्वारा स्वीकार होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि ***"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानानुसार पुत्रियां मृतक खातेदार की उत्तराधिकार होकर विवादित रकबा में उनके अधिकारों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना उचित होगा। जबकि विद्वान उपखंड अधिकारी द्वारा अपीलांट वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति***

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

में अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः पत्रावली इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर विधिवत निर्णय पारित किया जावें।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थीं तथा विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया था कि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों में विवेचन कर निर्णय पारित किया जावें। अर्थात किसी प्रकार की नवीन साक्ष्य लिये जाने का कोई निर्देश नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही संपादित की गई। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती हैं। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

12. अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि वादीया मृतक मगा की पुत्रियां है तथा वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मगा की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक 20.06.1982 द्वारा स्वीकृत विरासतन नामांतरण केवल जायंदा पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्रियां पुत्रों के समान ही प्रथम श्रेणी की वारिस होती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों, विधिक प्रावधानों व साक्ष्य का विस्तृत विवेचन उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादपत्र स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि साबित नहीं होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि साबित नहीं हुई हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं हुई हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2005 (पुराना वाद संख्या 106/2005 एवं मूल वाद संख्या 18/1996) बअनवान मृतक कन्या के का.मु. मांगीलाल वगैरह बनाम सोहनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2005 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० [illegible])

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner